

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 03.09.2023

मोटरसाईकिल व भैस चोरी करने के 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, 01 अदद मोटरसाईकिल, 01 अदद पिकअप व भैस चोरी से सम्बन्धित 4900 रु0 बरामद—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्र0नि0/थानाध्यक्षों को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को0 नगर पुलिस द्वारा भैस चोरी करने के 02 शातिर अभियुक्तगणो—01. अमित विश्वकर्मा उर्फ पंचू 02. मो0 समीर उर्फ लल्लन को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 01 अदद चोरी की मोटरसाईकिल, 01 अदद पिकअप व भैस चोरी से सम्बन्धित 4900 रु0 बरामद किया गया। उक्त अभियुक्तगणो ने अपने साथी अभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 08.04.2023 को थाना को0नगर क्षेत्र के रहने वाले मो0 अनवर पुत्र नूर मोहम्मद की 02 भैसों व दिनांक 23.08.2023 को त्रलोकी नाथ पुत्र राधिका प्रसाद की 02 भैसों व दिनांक 21.08.2023 को मुकेश कुमार की मोटरसाईकिल चोरी किया था तथा दिनांक 06.05.2023 को थाना धानेपुर क्षेत्र के बालक राम पुत्र मेही लाल की 01 भैस को चोरी किया था। गिरफ्तार अभियुक्तों को एक सगठित गिरोह था जो जनपद गोण्डा के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भैस चोरी करने का काम किया करते थे। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरुद्ध थाना को0 नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण—

01. अमित विश्वकर्मा उर्फ पंचू पुत्र श्यामलाल विश्वकर्मा नि0 मो0 साहबगंज थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
02. मो0 समीर उर्फ लल्लन पुत्र रज्जब अली नि0 फैजाबाद रोड इमामबाड़ा महराजगंज थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

अनावरित अभियोग—

01. मु0अ0सं0—647 / 23, धारा 379,411 भादवि थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0—777 / 23, धारा 379,411 भादवि थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
03. मु0अ0सं0—214 / 23, धारा 379,411 भादवि थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।
04. मु0अ0सं0—749 / 23, धारा 379,411 भादवि थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. 01 अदद मोटरसाईकिल।
02. 01 अदद पिकअप।
03. 4900 रु0 नगद।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

उ0नि0 प्रतीक पाण्डेय मय टीम।
उ0नि0 अभिषेक पाण्डेय मय टीम।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 03.09.2023

जानलेवा हमला करने के 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल ने अपराध एंव अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को०नगर पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर जानेलेवा हमला करने के 02 वांछित अभियुक्तों—०१. मो० लाडले, ०२. कज्जन को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने अपने साथी अभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 02.09.2023 को पैसे के लेनदेन के चलते वादी सूर्य प्रकाश तिवारी उर्फ राकेश कुमार तिवारी नि० तिवारी फर्टिलाइजर्स काजीदेवर थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के लड्के शुभम तिवारी के ऊपर जानलेवा हमला करते हुए मारा—पीटा था। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरुद्ध थाना को० नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण—

०१. मो० लाडले पुत्र मो० उमर उर्फ उमरु नि० बनकटवा थाना को० नगर जनपद गोण्डा।
०२. कज्जन पुत्र जलाल अहमद उर्फ खिचड़ी नि० बनकटवा थाना को० नगर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

०१. मु०अ०सं०—७७८ /२३, धारा १४७,१४८,१४९,३२३,५०४,५०६,३०७,४०६ भादवि थाना को० नगर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

उ०नि० वीरेन्द्र कुमार शुक्ला मय टीम।

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 03.09.2023

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-11 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151 / 107 / 116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

04 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार—

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल के निर्देशन में चलाए जा रहे वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान के क्रम में जनपद गोंडा के थाना कटराबाजार पुलिस ने 01, थाना को०नगर पुलिस ने 01 व थाना उमरीबेगमगंज पुलिस ने 02 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. थाना को० देहात पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. मनोज कुमार पुत्र सीताराम निं० ग्राम भकुरहा जमदरा को० देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-480 / 23, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

02. थाना को० करनैलगंज पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. विवेक सिंह पुत्र ब्रिज किशोर सिंह निं० ग्राम खजुहा थाना को० करनैलगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-513 / 23, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

03. थाना तरबगंज पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. धरमचन्द्र पुत्र रामसेवक निं० भिखनापुर चौबेपुर थाना तरबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-337 / 23, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 03.09.2023

चोरी करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी का माल बरामद—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चोरों/वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्र०नि०/थानाध्यक्षों के दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान चोरी करने के आरोपी अभियुक्त विष्णु गुप्ता उर्फ आदेश को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी के 2000 रु० व 01 पैन ड्राइव बरामद किया गया। उक्त अभियुक्त ने दिनांक 07.04.2023 की रात्रि शेखर होमियोपैथिक हॉस्पिटल के दुकान का ताला तोड़कर चोरी की थी। जिसके सम्बन्ध में थाना नवाबगंज में अभियोग पंजीकृत हुआ था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. सुनील कुमार मिश्रा पुत्र रामजी मिश्रा नि० ग्राम बसालतपुर थाना को० करनैलगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. विष्णु गुप्ता पुत्र आदेश पुत्र द्वारिका प्रसाद गुप्ता नि० मुठ्ठीगंज थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. 01 अदद पैन ड्राइव

02. 2000 रु० नगद

गिरफ्तार कर्ता टीम—

उ०नि० कामेश्वर राय मय टीम।

